

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(110)वित्त-1(1)आय.व्य/2020

जयपुर, दिनांक : 23.09.2021

स्वीकृति संख्या 295/2021-22

कोषाधिकारी  
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 100.00 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/2021-22/दिनांक 20.09.2021 (स्वीकृति संख्या-10/2021-22) में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 100.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

माँग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

(22) - बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)

[02] - छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रु. 100.00 लाख मात्र

A.O.TAD

24/9

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

(सुनील सोनी)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)